

24. प्रस्तावित जनसंख्या घनत्व के अनुसार विद्युत भार स्वीकृत कराकर यू.पी.पी.सी.एल. की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।
25. पार्किंग स्थल का उपयोग पार्किंग हेतु किया जायेगा अन्य उपयोग किये जाने पर मानचित्र निरस्त माना जायेगा। पार्किंग ऐरिया का अन्य उपयोग शान्तीय नहीं होगा।
26. एक्स्टेन्डिड बेसमेंट/ड्राईवे की डिजाईन एक एक्जीक्यूशन अग्निशमन विभाग के वाहनों के आवागमन को सुविधाजनक कराया जाना अनिवार्य होगा।
27. सर्वेक्षण प्लान में दर्शित प्राधिकारों/विकास कार्यों को पीओडब्ल्यूडीए के मानकों के अनुरूप करना होगा।
28. भवन निर्माण के समय भवन निर्माण सामग्री अपने भूखण्ड में उसी भू-भाग पर स्टोकिंग करना सुनिश्चित कराया होगा अन्यथा की स्थिति में गलत शुल्क जमा करना होगा।
29. मानचित्र में मैकेनाईज्ड पार्किंग प्रस्तावित है। मैकेनाईज्ड पार्किंग हेतु अधिकृत कम्पनी का प्रोफाईल व डिजाईन के अनुसार मैकेनाईज्ड पार्किंग का प्राविधान करना होगा।
30. आन्तरिक विकास कार्यों हेतु समतुल्य मूल्य के प्लेट भूमि सहित रजिस्टर्ड बन्धन-पत्र को माध्यम से प्राधिकरण के पास में मोर्टगेज किये गये हैं जो आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने पर उनके भीतिक सत्यापन उपरान्त निर्यात की जायेगी।
31. आवागमन व्यक्तियों के सुगम आवागमन हेतु प्रत्येक बहुखण्डीय भवन में नियमानुसार रैम्प का निर्माण करना होगा।
32. एयरपोर्ट एथॉरिटी से प्राप्त एन.ओ.सी. के अनुरूप भवन की ऊँचाई व अन्य सुझावों/सुविधाओं को स्थापित किया जाना होगा तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र के समय उक्त के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
33. उ.अ. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/पर्यावरण विभाग की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।
34. व्यावसायिक अनुभाग द्वारा जारी वीज, एम.ओ.यू. की शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
35. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त आन्तरिक विकास कार्यों के अनुरक्षण हेतु यू.पी. अपार्टमेंट एक्ट के अनुसार ए.ओ.ए. का गठन करना होगा तथा तत्पश्चात् आन्तरिक विकास कार्य के अनुरक्षण की समस्त जिम्मेदारी आवेदक/विल्डर की होगी।
36. बेसमेंट की सुदाई हेतु खनन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
37. राजनादेश सं.-2686/अ-1-11-19 विधि/10 के अनुपालन में आवेदक/निर्माताओं को निर्माण श्रमिकों का पंजीयन श्रम विभाग में कराना होगा। निर्माण स्थल पर निर्माण श्रमिकों के प्रारम्भिक उपचार की सुविधा कैंटीन की सुविधा, शिक्षणालय गृह व अस्थायी प्राथमिक शिक्षा केंद्र की सुविधा उपलब्ध करानी होगी।
38. भू-स्वामी को अपार्टमेंट एक्ट-2010 तथा उसकी विधिवानुसारी का अनुपालन करना होगा।
39. निर्माण के समय यदि कोई दुर्घटना, जान-माल की हानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
40. लेबर शेर की अंशद्वारा धनराशि के अनुसार निर्माण लागत का 1 प्रतिशत लेबर शेर के रूप में श्रम सन्निर्माण विभाग में जमा कराने होंगे। इस हेतु शेर धनराशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 20 प्रतिशत यू.पी. विलिडिंग एन्ड अवर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड एकाउन्ट नं.-50034297206 इलाहाबाद बैंक में जमा करानी होगी।
41. भवन निर्माण पूर्ण करने के उपरान्त लिफ्ट के सुरक्षित संचालन एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी आवेदक/ए.ओ.ए. की होगी। इस सम्बन्ध में सीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से प्रत्येक वर्ष सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण को उपलब्ध कराना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिफ्ट एक्ट का गठन किये जाने के उपरान्त उसकी अनुपालन की जिम्मेदारी भी आवेदक/ए.ओ.ए. की होगी।
42. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्रों में उल्लिखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
43. उपरोक्त सभी शर्तों का पालन नहीं करने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

संलग्नक :

1. एक सेट स्वीकृत मानचित्र।

पत्रांक / एमपी/

प्रतिनिधि : प्रचलन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य अभ्युक्ति एवं नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
दिनांक

आज दिनांक 07/12/2011 को

वर्दी सं 1 दिवस सं 19272

पृष्ठ सं 137 से 1,194 पर क्रमांक 30216

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर



रजेंद्र सिंह

सम निबन्धक (चतुर्थ)

गाधियाबाद

7/12/2011